FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रामजीलाल आदि बनाम अंजली आदि

किस्म मुकदमा–नामान्तरण अपील — नम्बर 14––सन्– 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.25	अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 व 4 से 7 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 10.11.2025 को उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद ग्राम चक हरपट्टी तत्कालीन तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण स्थित आराजी पूर्व खसरा नंबर 14/40 रकबा 6 बीघा 10 विस्वा का नामान्तरण सं0 11 ग्राम चक हरपट्टी मोत्या पुत्र गोर्‌या के नाम अस्थाई खातेदारी का पट्टा हल्का द्वारा दिनांक 6.8.1969 को भरा गया जिस पर गिरदावर हल्का ने दिनांक 21.8.1969 को तुलना की गई एवं तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 25.4.1972 को तस्दीक किया गया। यह नामान्तरण आवंटन होना बताकर भरा व तस्दीक किया गया। प्रार्थीगण ने जिला अभिलेखागार दौसा में तथाकथित नामान्तरण की नकल प्राप्त करने के लिए दिनांक 19.3.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को प्रतिलिपि शाखा द्वारा बाद अवलोकन अभिलेख यह तथ्य अंकित कर निरस्त फरमा दिया कि सन 1958 से 1968 के आवंटन पत्रावलियों की सूची का अवलोकन किया गया। तदनुसार सन 1965 आवंटी के नाम की आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाया गया। जिला अभिलेखागार के उक्त आदेश की नकल प्रार्थीगण को दिनांक 27.4.2025 को प्राप्त हुई है। राजस्व अभिलेख नामान्तरण सं0 11 का आधार आवंटन आदेश है। स्व.मोत्या पुत्र गोरया के नाम भरा गया अस्थाई खातेदारी नामान्तरण किस आवंटन आदेश के अनुरूप भरा गया इसकी पुष्टि नहीं है। अस्थाई खातेदारी का राज. काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। आवंटन आदेश के अनुरूप गैर खातेदारी का नामान्तरण भरा जाता था तथा आवंटन नियमों की पालना के बाद खातेदारी नामान्तरण होता था। इस प्रकार तहसील प्रशासन द्वारा भरा गया नामान्तरण नियमानुसार सही नहीं था।नामान्तरण किस दिनांक के आवंटन आदेश से भरा गया इस तथ्य कर पुष्टि के बिना नामान्तरण सं0 11 बिना क्षेत्राधिकार के भरा गया तथा प्रमाणित है। आराजी पूर्व खसरा नंबर 14/40 रकबा 6 बीघा 10 विस्वा राजकीय सिवायचक भूमि थी जिस पर प्रार्थीगण रामदेव, गेदालाल व अप्रार्थी मोत्या पुत्र सुक्खा समान रूप से काश्त करते थे। अप्रार्थी ने पूर्वज मोत्या के अपने पिता का नाम गोरिया बताकर अपने नामान्तरण सं0 11 चक हरपट्टी का अस्थाई नामान्तरण अपने को आवंटी बताकर नामान्तरण भर दिया जबकि मोत्या पुत्र गोरिया नाम का कोई व्यक्ति चक हरपट्टी में नहीं था। नामान्तरण सं0 25.4.1972 को तहसीलदार दौसा द्वारा स्व0 मोत्या पुत्र गोरिया के नाम प्रमाणित किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश आधारहीन, तथ्यात्मक रूप से असत्य, अवैध एवं अनियमित आदेश है। अतः नामान्तरण आदेश को चुनौती देने में समय सीमा बाधक नहीं है। फिर भी विवाद से बचने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परि0 अधि0 प्रस्तुत है। नामान्तरण आदेश की नकल प्राप्त करने एवं राजस्व अपील [illegible] यह अपील योम जानकारी से समय सीमा में प्रस्तुत है। विलं[illegible] फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः प्रार्थना प[illegible] स्वीकार फरमाया अपील पेश करने में हुई देरी को [illegible] फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अप[illegible] न्यायिक दृष्टान्त आरआ[illegible] 2008(1)पेज 151, आरवीजे (4)1997 पेज 167 [illegible] आरआरटी 2022(1)पेज [illegible] 2012(1)आरआरटी पेज 182 की प्रतियां प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 9 ने दफा 5 कानून मियाद पर बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपील अत्यधिक देरीना मियाद बाहर पेश की गई है व देरी का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अपीलांट्स का विवादग्रस्त भूमि से क्या संबंध है उसे प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। अपील में प्रार्थना पत्र एग्रीव्ड नहीं है। अपीलांट का	

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:18:29 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

विवादित भूमि से कोई वास्ता कभी नहीं रहा। अपीलांट्स का कब्जा किस प्रकार से रहा है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है और न ही अपील में ऐसा कोई विवरण दिया गया है। अपीलांट्स ने केवल राजनैतिक अदावट की भावना से रेस्पों0 को येन केन प्रकारेण परेशान करने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पों0 व उनके पूर्वज 53 वर्ष से भी अधिक समय से भूमि पर काबिज होकर काश्त कर लाभांवित होते चले आ रहे है। अपीलांट्स का एकमात्र उद्देश्य रेस्पों0 को उनके कानूनी अधिकार से महरूम करने का है एवं इसी बदनीयति से उक्त अपील पेश की गई है। उपरोक्त अपील लगभग 53 वर्ष पश्चात असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई हैं। रेस्पों. एवं उनके पूर्वजो का कब्जा व खातेदारी लगभग 53 वर्षों से लगातार चली आ रही है जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्रारंभ से ही रही है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड लगातार नियमित रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा मेन्टेन किया जाता है। अपीलांट्स उसी गांव के है जहॉ भूमि स्थित है इसलिए यह संभव नहीं है कि रेस्पों. के नाम खातेदारी के नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स व उसके पूर्वजों को न हो। नामान्तरण विधिक प्रक्रिया से खोला गया है। नामान्तरकरण को चुनौती देने के लिए 30 दिवस की मियाद होती है। जबकि दिनांक 25–04–1972 के नामान्तरकरण को 53 वर्ष पश्चात चुनौती दी गई है। देरी का कोई पर्याप्त कारण प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया है। जब तक प्रार्थना पत्र मे पर्याप्त व उचित कारण नही दर्शाये जाते है तब तक जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का कोई भी लाभ अपीलांट को प्रदत्त नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र मे दिनांक 25–04–1972 के आदेश की जानकारी किस तिथी को हुई, अंकित नही किया गया है। प्रार्थना पत्र बेबुनियाद आधारो पर प्रस्तुत किया गया है व नकल कब प्राप्त हुई यह भी अंकित नही किया गया है। प्रार्थना पत्र मे जेर दफा 5 मे वर्णित तथ्यो का समावेश नही किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जे खर्चे खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 9 ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 1021, 2016(3)सीजे (सिविल)(राज.)पेज 1835, 2016(1)सीजे (सिविल) राज. पेज 58, 2016(4) डीएनजे राज. 1729, 2025(2)डीएनजे (एस.सी.) पेज 780, 2025(2)सीजे (सिविल) (राज.) पेज 619, 2024(2)डीएनजे एससी पेज 414, 2023(3)सीजे (सिविल)राज. पेज 1419, 2023(3) सीजे (सिविल) राज. 1419 2010(1)डीएनजे राज. पेज 400, 2009(1)डीएनजे राज. 215, 2009(2)डीएनजे राज. पेज 799, 2016(एस.सी.) पेज 780,सीजे2010 डीएनजे (1) राज. 400, 2009 डीएनजे (1) राज. 215, 2009 डीएनजे (2) राज. 799, 2016(2) सीजे(सिविल) राज. 1150, 2009(1) सी.डीआर. राज. 377, 2004(3) सीडीआर 2061 राज. की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स की ओर से अपील अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। साथ ही अपील को विलंब से प्रस्तुत कियें जाने का कोई ठोस कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

हमने दफा 5 कानून मियाद पर उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट्स के द्वारा ग्राम चक हरपट्टी के नामान्तरण सं0 11 जो कि तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 25-04-1972 को तस्दीक किया गया है, को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। अपीलांट के द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण जो कि वर्ष 1972 में खोला गया है को 53 वर्ष के असाधारण विलंब से चुनौती दी गई है। इस असाधारण विलंब से नामान्तरण को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। हम प्रस्तुत अपील को दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेशिका की प्रति के साथ लौटाया जावे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:18:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा